न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 120/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांकः 26.04.2022

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. मोहन लाल आ0 कालूलाल जाति मीना निवासी झालीजी का बराना, तहसील केशोराय पाटन, जिला बून्दी

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. दुर्गालाल आ0 मदनलाल जाति खाती निवासी झालीजी का बराना, तहसील केशोराय पाटन, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री सुनील महर्षि अभिभाषक –अपीलांट
श्री तेजमल जैन –रेस्पो0 क्र. 2
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 10.07.2024

अपीलांट ने आवंटन दात्री समिति, केशोराय पाटन, मुकाम बराना (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा दुर्गा लाल आ0 मदनलाल कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 के विरूद्ध अपील पेश करने की इजाजत हेतु प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन दात्री समिति, केशोराय पाटन, मुकाम बराना द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 से दुर्गालाल आत्मज मदन लाल खाती को ग्राम झाली जी का बराना में खसरा संख्या 47 में से रकबा 7 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील पेश करने की इजाजत हेतु प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश अवैध व शून्य है। योग्य आवंटन समिति के आवंटन के समय सरपंच व तहसीलदार कुल दो सदस्य थे तथा आवंटन समिति के अध्यक्ष भी नहीं थे जिससे आवंटन नियमों के विपरित हैं। आवंटन के समय हल्का पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा था तथा आवंटन के समय अपीलांट के पिता को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना बेदखल किये आवंटन किया जो विधिविरूद्ध हैं। अपीलांट के पिता की मृत्यु होने के उपरांत 50 वर्षों से अपीलांट का कब्जा है तथा उक्त भूमि आज भी गैरखातेदारी में चली आ रही है। अपीलांट प्रभावी पक्षकार है तथा अपील पेश करने का अधिकार है। अपीलांट को आवंटन

की जानकारी नहीं थी, जो दिनांक 20.03.2022 को भूमि पर अपीलांट को बेदखल करने आने तथा हल्का पटवारी से जानकारी करने पर आवंटन पत्रावली की तलाशी करने पर दिनांक 23.03.2022 को प्रतिलिपि प्राप्त करने की अवधि को कण्डोन योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 निरस्त की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि आवंटन दात्री समिति, केशोराय पाटन, मुकाम बराना द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 आवंटन नियमों के विपरित हैं तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा था तथा बिना अपीलांट के पिता को सुनवाई का अवसर दिये, बिना बेदखल किये आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। उक्त भूमि आज भी गैरखातेदारी में चली आ रही है। अपीलांट का ऐसी स्थिति में हित निहित होने से प्रभावी पक्षकार है तथा अपील पेश करने का अधिकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देने के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRT 2021(2) पेज नं 835, 1029 एवं RRT(2) पेज नं 1169 पेश किये।

4 अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि आवंटन दात्री समिति, केशोराय पाटन, मुकाम बराना द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 से दुर्गालाल आत्मज मदन लाल खाती के भूमिहीन होने से ग्राम झाली जी का बराना में खसरा संख्या 47 में से रकबा 7 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार ही आवंटित की गई है, जो न्यायोचित हैं। आवंटी दुर्गा लाल आ0 मदनलाल आज भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 के विरूद्ध 47 वर्षों बाद अपील प्रस्तुत की गई है, जो पोषनीय नहीं है तथा अपीलांट का किसी प्रकार से हक निहित नहीं होने से अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRD 1994 पेज नं 606 RRD 1957 पेज नं 127 एवं RRD 14-4-2011 पेज नं 233 पेश किये।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील अपीलांट को प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव रेस्पो0 पर मनन प्रकरण कर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सूक्ष्म अध्ययन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि आवंटन दात्री समिति, केशोराय पाटन, मुकाम बराना द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 से दुर्गालाल आत्मज मदन लाल खाती के भूमिहीन होने से ग्राम झाली जी का बराना में खसरा संख्या 47 में से रकबा 7 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। तत्समय पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटन प्रार्थना–पत्र

पर उक्त रकबे में कालू वल्द ग्यारसा मीणा अतिक्रमी अंकित हैं। मुताबिक मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 12.04.2022 अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 66 रकबा 1.14 हेक्टेयर पर वर्तमान में दुर्गालाल वल्द मदनलाल खाती का कब्जा काश्त होना अंकित हैं एवं गैर खातेदारी भूमि से खातेदारी बाबत प्रस्तुत आवेदन जांच रिपोर्ट चैक लिस्ट के अवलोकन अनुसार आवंटी का कब्जा काश्त होने से भू.अ.नि. की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.04.2022 को खातेदारी देने की अनुशंषा की गई है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त आवंटन नियमों के विपरित हैं तथा विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा था परंतु अपीलांट के पिता को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना बेदखल किये आवंटन किया गया है। अपीलांट के पिता की मृत्यु होने के उपरांत 50 वर्षों से अपीलांट का कब्जा है तथा उक्त भूमि आज भी गैरखातेदारी में चली आ रही है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार खाता संख्या 66 रकबा 1.14 हैक्टेयर पर दुर्गालाल वल्द मदनलाल खाती गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। इस प्रकार मात्र कब्जे के आधार पर ही 47 वर्षों के उपरांत न्यायहित में आवंटन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वर्तमान में आवंटी का कब्जा काश्त होने से भू.अ.नि. की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.04.2022 को खातेदारी देने की अनुशंषा की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में आवंटन अवैध होने संबंधी तथ्यों की भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। प्रकरण में रेस्पो0 अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 14-4-2011 पेज नं 233–234 अनुसार *"As per directions of hon'ble Supreme Court, where parties are illetrate and residents of villages technical objections should not be given much importance"* वर्णित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर अपीलांट का हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। आवंटन दात्री समिति, केशोराय पाटन, मुकाम बराना द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 से दुर्गालाल आत्मज मदन लाल खाती के भूमिहीन होने से ग्राम झाली जी का बराना में खसरा संख्या 47 में से रकबा 7 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार ही आवंटित की गई हैं, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा उक्त आवंटन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा